न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—214/2020/225 (2020/00214)

1. रघुवीर सिंह पुत्र मांगूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अरड़का, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र छीतरसिंह, जाति राजपूत (दरोगा) निवासी ग्राम अरड़का, तहसील व जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंटस

2. सायर कंवर पत्नी मूलसिंह (नाम तर्क)
3. भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह,
   दोनों जाति रापत, निवासी मं0 नं0 102, गोरधन कॉलोनी, न्यू—सांगानेर रोड़, जयपुर ।
4. प्रहलाद सिंह पुत्र मांगूसिंह,
5. संग्राम सिंह पुत्र मांगूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अरड़का, तहसील व जिला अजमेर । (नाम तर्क)

तरतीबी रेस्पो0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 4/2017.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री रूपक शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री अभिषेक शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 5 का नाम तर्क ।
4. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 25.8.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 16.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. असल रेस्पो0 विजयसिंह पुत्र छीतर सिंह द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 में

विरूद्ध अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में विजय सिंह ने यह तथ्य बताये कि उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 475 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम बाघपुरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है, उसे आने जाने के लिए अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो0 के आराजी खसरा संख्या 474 रकबा 1.00 है0 जो कि वाकै ग्राम बाघुपरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है, में से आने जाने वास्ते रास्ते की आवश्यकता है । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ते के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 16.10.2020 को निर्णय पारित कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.10.2020 न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थन पत्र को गलत एवं गैर कानूनी रूप से एकतरफा में बिना अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 की अनुपस्थिति में ही निर्णित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निर्णय निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र वास्ते आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने का अभी अंतिम बहस हेतु परिपक्व नहीं था । राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने तथा एक अन्य प्रार्थना अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया था । उक्त दोनों प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे जिन पर उभयपक्ष को सुनकर आदेश होना शेष था । इन समस्त बिन्दुओं को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने आनन–फानन में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर स्वीकार कर अपना निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने बिना अपीलांट व उनके अभिभाषक को सुने बिना ही एकतरफा में अपना निर्णय पारित किया है । प्रकरण अभी अपीलांट/अप्रार्थी रघुवीर की ओर से जवाब में था साथ ही प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगाये जाने व संग्राम सिंह को पक्षकार संयोजित किये जाने का प्रार्थना पत्र भी लंबित थे । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्रों को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में संग्रामसिंह पुत्र मांगूसिंह को पक्षकार संयोजित कर उनकी उपस्थिति भी दर्ज की है जबकि यहां यह कहना आवश्यक होगा कि संग्रामसिंह को पक्षकार बनाने के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस पर निर्णय होना शेष था, ऐसी स्थिति में संग्रामसिंह को पक्षकार कैसे बना लिया गया । बहस में आगे कथन किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत लोक अदालतों का गठन किया जाता है और यह लोक अदालत गांव गांव जाकर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करती है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक अदालत की आत्मा समझौता, राजीनामा जैसे शब्द होते है किन्तु उक्त प्रकरण में ना तो पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का मौखिक या लिखित समझौता हुआ था ना ही राजीनामा हुआ इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णित किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 475 रकबा 0.46 है0 है । वादीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 474 रकबा 1.00 है0 स्थित है । उक्त भूमि के पश्चात् एक आम रास्ता निकल रहा है जो ग्राम बाघपुरा व नरवर की सीमा में स्थित है । उक्त आम रास्ते से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 475 में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 474 की पूर्वी सीमा से होकर गुजरता है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा स्वंय की आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 474 का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है । प्रार्थी की आराजी में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अप्रार्थी/अपीलांट ने उक्त रास्ते को तारबंदी करके बंद कर दिया है । अधी0न्याया0 ने रास्ते के संबंध में तहसीलदार, अजमेर से मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें तहसीलदार ने अंकित किया है कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 475 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 474 में रास्ता दिया जाना उचित बताया है । बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी/अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा जवाब के अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित दी किन्तु अपीलांट को अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार, अजमेर ने मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2020 में अंकित किया है कि "मौका देखा गया । वादीगण द्वारा खसरा नंबर 474 में से होकर खसरा नंबर 476 में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जिसमें मौके पर 8 मीटर चौड़ा रास्ता देने पर 1152 वर्गमीटर भूमि रास्ते में काम में आयेगी। रिकार्ड व मौके का अवलोकन करने पर खसरा नंबर 473 में वादीगण सहखातेदार है । अतः खसरा नंबर 474 में से खसरा नंबर 473 तक पहुंचने हेतु रास्ता दिया जाना उचित है । " तहसीलदार की उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अपीलांट ने भी अपने अपील मीमों में भी प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में रास्ते के प्रकरणों को 90 दिवस में निर्णित किये जाने के प्रावधान किए गए है । अपीलांट द्वारा लंबे अर्से तक जवाब पेश नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में दिये गये प्रावधानों के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर